संख्या- 19/2024/101/छप्पन-2023-43/2015-56-1002/11/2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 14 फरवरी, 2024

विषय: राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी०टी०-यू०पी०एल० के स्पेयर्स Exchange के आधार पर M/s. Leonardo Malaysia Sdn Bhd से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-316/ना0उ0नि0/इंजी/यू0पी0एल0/09-आई/2024 दिनांक 17 जनवरी, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा किए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी०टी०-यू०पी०एल० के VERTICAL GYRO REPAIRD Qty: 01 तथा ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT SYSTEM, REPAIRED Qty: 01 repaired condition में तथा exchange के आधार पर M/s. Leonardo Malaysia Sdn Bhd से क्रय किए जाने के निमित्त होने वाले व्यय USD 2,04,684.90 जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 85/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रू0 1,73,98,216.50 अर्थात् कुल रू0 1,73,98,217/- (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख अठ्ठानबे हजार दो सौ सत्रह मात्र) तथा व्यय की जाने वाली धनराशि यू०एस० डालर 1,00,000/- से अधिक होने के कारण भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से होने पर कुल धनराशि का 10% मार्जिन मनी के रूप में रू0 17,39,822/- एवं निदेशालय से सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे०बी०के० लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली को इसके आयात पर होने वाले अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी०एस०टी०, फेट चार्जेज इत्यादि) रू0 25,00,000/- अर्थात् कुल व्यय रू0 2,16,38,039/- (रू0 दो करोड़ सोलह लाख अड़तिस हजार उनतालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण एवं भुगतान किये जाने की स्वीकृति एवं फर्म को क्रयादेश निर्गत करने एवं हेलीकाप्टर से निकाले गये unserviceable पुर्जे को एक्सचेंज के आधार पर निर्माता फर्म को वापस भेजने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 19/2024/101(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10.

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।